

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. E (NG)-II/2007/RR-1/25.

New Delhi, Dt.: 05.05.2016.

The General Manager (P)s,
All Zonal Railways/Production Units

Sub: Supply of information under Right to Information Act, 2005 – regarding.


References have been received from railway establishments seeking guidelines on the orders passed by Chief Information Commissioner on appeals preferred by individuals seeking copy of OMR Answer sheets of recruitment examination to posts in Pay Band-1 (Grade Pay: ₹1800/-) under Right to Information Act, 2005, wherein, directions have been given to provide copy of OMR sheet to the applicants.

2. The issue has been looked into and instructions contained in Board's letter of even number dated 23/5/2007 and 10/7/2008 are hereby reiterated for taking suitable action in such cases.

3. It is further directed that provision pertaining to disposal of records as contained in Board's letter No. E(NG)II/2006/RR-1/SECR/18 dated 18/8/2008 should also be displayed on official website of Railway Recruitment Cells for information of applicants. Also, all efforts be made by Railway Recruitment Cells (RRCs) to disburse information in terms of provision of Right to Information Act, 2005.

Please acknowledge receipt.

{This disposes of East Coast Railway's letter No. ECoR/Pers/RRC/RTI dated 16.3.2016, South Eastern Railway's letter No. SER/P-HQ/742/RTI/RSY/065/001/2016/CIC dated 07/3/2016 and Southern Railway's letter No. RRC/Rly.Bd./RTI/CIC/2016 dated 04/3/2016}.


(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)-II
Railway Board.

27.11.11

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)-II/2007/आरआर-1/25

नई दिल्ली, दिनांक/8.05.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी ज़ोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयां

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना देने के संबंध में।

रेलवे स्थापनाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जिसमें आवेदकों को ओएमआर पत्रक की प्रति मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, के अंतर्गत पे-बैंड-1 (ग्रेड पे: 1800/- रूपए) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के ओएमआर उत्तर पत्रकों की प्रति की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।

2. इस मामले की जांच की गई है और एतद्वारा, ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के दिनांक 23.5.2007 और 10.7.2008 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को दोहराया जाता है।

3. यह पुनः निदेश दिया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 18/8/2008 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2006/आरआर-1/एसईसीआर/18 में अंतर्विष्ट रिकॉर्डों के निपटान से संबंधित प्रावधान आवेदकों की सूचना के लिए रेलवे भर्ती कक्षाओं की सरकारी वेबसाइट पर भी उल्लेख होना चाहिए। साथ ही, रेलवे भर्ती कक्षाओं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना देने के सभी प्रयास किए जाएं।

कृपया पावती दें।

(इससे पूर्व तट रेलवे के दिनांक 16.3.2016 के पत्र सं. ईकोर/पर्स/आरआरसी/आरटीआई, दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 07/3/2016 के पत्र सं. एसईआर/पी-एचक्यू/742/आरटीआई/आरएसवाई/065/001/2016/सीआईसी और दक्षिण रेलवे के दिनांक 04.3.2016 के पत्र सं. आरआरसी/रेलवे बोर्ड/आरटीआई/सीआईसी/2016 का निपटारा हो जाता है।)

नीरज कुमार
(नीरज कुमार)

निदेशक स्था.(एन.)-II
रेलवे बोर्ड